परिशिष्ट-4: लेआउट योजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन प्रपत्र-डी (B 2.9.1)

..... विकास प्राधिकरण

<u>प्रपत्र-डी (भाग अ)</u>

1. (I) आवेदक का नाम .....(II) वर्तमान पता .....
2. खसरा/भूखंड संख्या तथा योजना का नाम/मोहल्ला/वार्ड का नाम .....
3. भूखंड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)
4. अनुमन्य भू-उपयोग .....

(I) लेआउट मानचित्र के अनुमोदन की तिथि,

(II) अनुज्ञा संख्या,

(III)यदि अनधिकृत विकास का शमन कराया गया है, तो शमन शुल्क जमा करने की रसीद संख्या एवं दिनांक का विवरण देते हुए शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें.....

क्रमांक	दिनांक	रसीद/चालान सं.	बैंक का नाम	धनराशि (₹ में)
1	2	3	4	5

5. भू-उपयोग का विवरण:

क्र.सं.	**भू-उपयोग श्रेणी**	**अनुमोदित योजना के अनुसार**		**विकसित**		**विचलन**	
		क्षेत्र (वर्ग मीटर)	**प्रतिशत**	**क्षेत्र (वर्ग मीटर)**	**प्रतिशत**	**क्षेत्र (वर्ग मीटर)**	**प्रतिशत**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आवासीय						
2	व्यावसायिक						
3	अन्य						
4	पार्क एवं खुले स्थान						
5	सड़कें एवं गालियां						

6. सामुदायिक सुविधाओं की स्थिति

क्र.सं.	सुविधाएं	अनुमोदित योजना में प्राविधान		पूर्णता मानचित्र में प्राविधान			
		संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	सं.	क्षेत्र (वर्ग मीटर)	संख्या	क्षेत्र (वर्ग मीटर)
(I)	प्राइमरी स्कूल						
(II)	हायर सेकेंडरी स्कूल						
(III)	डिग्री कॉलेज						
(IV)	डिस्पेंसरी						
(V)	चिकित्सालय						
(VI)	पोस्ट ऑफ़िस						
(VII)	सामुदायिक केंद्र						
(VIII)	पुलिस स्टेशन						
(IX)	फायर स्टेशन						
(X)	टेलीफोन एक्सचेंज						
(XI)	बस स्टेशन						
(XII)	टैक्सी स्टैण्ड						
(XIII)	सार्वजनिक सुविधाएं						
(XIV)	अन्य सुविधाएं						

7. मानचित्र पर निम्नलिखित विकास कार्य का विन्यास अंकित करें:-

(I) सड़कें

(II) सड़क के किनारे वृक्षारोपण (आर्बोरिकल्चर)

(III) पुलिया(कल्वर्ट)

(IV) मार्ग प्रकाश व्यवस्था

(V) पेयजल वितरण प्रणाली जिसमें स्लुइस वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाइड्रेंट दर्शाए गए हों तथा भूमिगत जल नलिकाओं का व्यास अंकित हो।

(VI) ओवरहेड टैंकों एवं भूमिगत जलाशयों का स्थान/स्थिति एवं उनकी क्षमता, पंपों की संख्या तथा उनकी क्षमता।

(VII) सीवर सिस्टम, जिसमें पाइपों का व्यास, मेन होल, इनवर्ट लेबल देते हुए गली पिट्टस सम्मिलित हैं।

(VIII) सीवेज, पम्पिंग स्टेशन की स्थिति, उसकी क्षमता तथा पम्पों की संख्या एवं क्षमता (यदि उक्त विकास विकासकर्ता द्वारा किया गया है)।

(IX) वर्षा जल निकासी प्रणाली

(X) विद्युत आपूर्ति प्रणाली, जिसमें ट्रांसफॉरमर्स एवं 11 केवीए सब-स्टेशनों की स्थिति तथा ट्रांसफॉरमर्स की क्षमता अंकित हो।

(XI) सीवर का अंतिम निस्तारण- विकास प्राधिकरण / आवास एवं विकास परिषद / स्थानीय निकाय आदि की ट्रंक सीवर लाइनों में जोड़ने का विवरण।

(XII) भूगर्भ जल पुनर्भरण (रीचार्जिंग) प्रणाली

8. नगर की अवस्थापना प्रणाली से संयोजन की स्थिति/व्यवस्था:

(I) सड़कें

(II) जल-निकासी (ड्रेनेज) (ट्रंक ड्रेन से कनेक्शन)

(III) पेयजल की व्यवस्था (जल संस्थान/विकास प्राधिकरण/स्थानीय निकाय आदि से कनेक्शन की व्यवस्था)

(IV) विद्युत प्रणाली (33 केवीए/11 केवीए लाइन से संयोजन की स्थिति एवं ट्रांसफार्मर की स्थिति)

(V) सीवर/ट्रंक सीवर से संयोजन की स्थिति

9. विन्यास मानचित्र में आंतरिक परिवर्तन

(I) उपविधियों के अंतर्गत है/नहीं है। - हाँ/नहीं

(II) यदि यह उपविधियों के विपरीत है, तो इसको कम कर दिया गया है। - हाँ/नहीं

अथवा

पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृत है। - हाँ/नहीं

(यदि हां तो प्रमाण-पत्र संलग्न करें)

10. विकास कार्यों के मानकों एवं विशिष्टियों के संबंध में सूचना:

अनुमोदित विकास कार्यों के मानकों एवं विशिष्टियों तथा विन्यास मानचित्र में कोई विचलन नहीं हुआ है।

अथवा

विकास कार्यों के मानकों एवं विशिष्टियों में विचलन है, जिसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जा चुका है (प्रमाण-पत्र संलग्न है)। अब ऐसा कोई विचलन नहीं है, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हो।

आवेदक का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त विवरण मेरी/हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य हैं। विन्यास मानचित्र में भू-उपयोग वितरण, प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मानचित्र के अनुसार है। समस्त सुविधाएं एवं विकास कार्य अनुबंध के अनुरूप हैं। अतः, मुझे/हमें उपर्युक्त लेआउट योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाए।

संलग्नक अभिलेख:

1

2

3

दिनांक:

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

नोट: उपर्युक्त सूचना केवल आवेदन हेतु अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाएगा।

प्रपत्र-डी (भाग बी):

अनुज्ञापित वास्तुविद्/नगर नियोजक का प्रमाण-पत्र (लेआउट मानचित्र हेतु) -

मैंने श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम) ..... का ..... वार्ड .....में स्थित क्षेत्र/योजना .....का दिनांक.....को निरीक्षण किया तथा स्थल जांच के उपरांत उपर्युक्त समस्त सूचनाएं सत्य पाई गई है। इस संदर्भ में मेरी जांच आख्या निम्नवत है:-

समस्त विकास कार्य.....(प्राधिकरण का नाम) .....विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप हैं।

अथवा

विकसित योजना विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लेआउट मानचित्र/अनुमन्य उपविधियों के अनुरूप है।

अथवा

विकसित योजना में अनुमोदित विन्यास मानचित्र से विचलन है, जो क्रम संख्या 9 पर अंकित कर दिया गया है तथा शमनीय विचलन को संशोधित/का शमन कर दिया गया है। उपर्युक्त स्थिति में पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक.....

हस्ताक्षरः .....

अनुज्ञापित वास्तुविद् /नगर नियोजक का नाम/पता .....

अनुज्ञापित संख्या .....

पंजीकरण की वैधता अवधि .....

प्रपत्र-डी (भाग सी):

वर्षा जल संचयन के संबंध में अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण-पत्र (लेआउट मानचित्र हेतु)

विकसित योजना में वर्षा जल संचयन (भूगर्भ जल पुनर्भरण प्रणाली) का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लेआउट मानचित्र/लागू उपविधि के अनुसार हैं।

दिनांक

हस्ताक्षरः .....

अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का नाम/पता .....

अनुज्ञापित संख्या .....

पंजीकरण की वैधता अवधि .....

प्रपत्र-डी (भाग डी):

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र (आवेदन पत्र के भाग 'ए', 'बी' एवं 'सी' की छायाप्रति पर निर्गत किया जाए)

.....वार्ड/योजना/मोहल्ला/सेक्टर में स्थित भूखंड संख्या..... पर विकसित योजना के संबंध में दिए गए उपर्युक्त प्रमाण-पत्र का सत्यापन

श्री..... (पदनाम).....दिनांक..... को विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित लेआउट मानचित्र के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 ए (2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

हस्ताक्षर.....

पद का नाम.....

कार्यालय की मुहर .....

दिनांक-.....